"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 फरवरी 2005 माघ 27, शक 1926

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2005

अधिसूचना

क्रमांक 180/पं/22. - छत्तीसगढ़ ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 6 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधरा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के "छत्तीसगढ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 7 (सात) दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

कोई आपत्ति या सुझाव जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर के कक्ष क्रमांक 266 को कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में :-

1. नियम 2 के उपनियम (1) में वाक्य "ग्राम सभा का सम्मिलन प्रत्येक वर्ष प्रत्येक तीन माह में होगा" के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य प्रतिस्थापित किया जाये :-

"ग्राम सभा का सम्मिलन ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ऐसे अंतरालों पर आयोजित किया जावेगा जैसा कि उसके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत कार्यसूची के आधार पर आवश्यक हो.

परन्तु ग्राम सभा का प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित होगा."

2. नियम 2 के उपनियम (2) में वाक्य "एक दशमांश से होगी" के पश्चात् निम्नलिखित वाक्य अंत:स्थापित किया जाए :-

"जिसमें कम से कम एक तिहाई महिला सदस्य होंगी."

3. नियम 4 उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम (3) अंत:स्थापित किया जाए :-

"(3) ऐसी सूचना ग्राम पंचायत के प्रत्येक पदधारी को भी भेजी जावेगी. ऐसी सूचना प्राप्त होने पर ग्राम पंचायत के पंच/सरपंच अपने निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों को ग्राम सभा के सम्मिलन में उपस्थित कराने के लिए उत्तरदायी होंगे. यदि यथास्थिति पंच/सरपंच ग्राम सभा की लगातार तीन बैठकों में अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुल सदस्य संख्या का एक दशमांश, जिसमें एक तिहाई महिला होगी, उपस्थित कराने में असफल रहता है तो वह मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उसके पद से हटा दिए जाने का दायित्वाधीन होगा."

4. नियम 6 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए :-

"परन्तु यह और भी कि वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों के चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट और पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाए जाने के बारे में गणपूर्ति होने पर ही संकल्प पारित किया जा सकेगा."

5. नियम 7 के वाक्य " इस प्रयोजन के लिए रखे गये उपस्थिति रजिस्टर में प्रविष्ट किये जाएंगे " के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य प्रतिस्थापित किये जाए :-

"प्ररूप तीन में रखे गये उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज किये जाएंगे और हस्ताक्षर अभिप्राप्त किये जाएंगे तथा उसी सम्मिलन में उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति, अन्य उपस्थित सदस्यों में से कम से कम पांच सदस्यों, ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा उसकी पुष्टि की जाएगी और ऐसी पुष्टि करने वाले व्यक्तियों के नाम तथा पते उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखे जाएंगे. निर्वाचन क्षेत्रवार ग्राम सभा में गणपूर्ति की गणना का कार्य संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा किया जाएगा. ग्राम सभा की लगातार तीन बैठकों में गणपूर्ति नहीं होने पर संबंधित पदधारी की सूचना खण्ड के उपखण्ड अधिकारी को दी जायेगी. ऐसी सूचना प्राप्त होने पर क्षेत्र के उपखण्ड अधिकारी द्वारा संबंधित पदधारी को नोटिस दिया जाएगा तथा आगे की दो ग्राम सभा में गणपूर्ति करने का उन्हें अवसर दिया जाएगा फिर भी गणपूर्ति न होने की स्थिति में संबंधित पदधारी के विरुद्ध पद से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी."

6. नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन बने प्ररूप-एक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप-एक प्रतिस्थापित किया जाए.

प्रारूप-एक

[नियम 4 (1) देखिये]

ग्राम सभा के सम्मिलन की सूचना

ग्राम सभा..............................के सभी सदस्यों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ग्राम सभा का सम्मिलन तारीख......................को निम्नलिखित ग्राम...के स्थान.................................. पर होगा.

सम्मिलन का स्थान..

ग्राम सभा सभी सदस्य, जिनके नाम मतदाता सूची में है, सम्मिलन में भाग लेने के लिये आमंत्रित है.

ग्राम सभा के सम्मिलन के लिए, उसके सदस्यों की कुल संख्या के दशमांश अथवा अनुसूचित क्षेत्र के मामले में एक तिहाई से गणपूर्ति होगी. यदि सम्मिलन के लिए नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति सम्मिलन को ऐसी आगामी तारीख तथा समय के लिए स्थगित कर देगा जैसा कि वह नियत करें और एक नई सूचना विहित रीति में दी जाएगी और ऐसे स्थगित सम्मिलन के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी.

परन्तु ऐसे सम्मिलन में किसी नए विषय पर विचार नहीं किया जाएगा और यह और भी कि वार्षिक कार्ययोजना हितग्राहियों के चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक रिपोर्ट और पंचायत कर्मी के पद पर नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाये जाने के बारे में गणपूर्ति होने पर ही संकल्प पारित किया जा सकेगा.

यह सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में स्थान ....पर चिपकाई जाएगी तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में डोंडी पिटवाकर इसकी घोषणा की जाएगी.

सम्मिलन में निम्नलिखित विषय रखे जायेंगे तथा निम्नलिखित आदेशों पर विचार किये जायेंगे :-

1. वर्ष ....के लिये लेखों का वार्षिक विवरण.
2. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन का प्रतिवेदन.
3. आगामी वित्तीय वर्ष हेतु विकास एवं अन्य कार्यक्रम के लिये प्रस्तावित कार्य.
4. सदस्यों से प्राप्त सुझावों पर ग्राम पंचायत का नोट.
5. सम्मिलन में अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय. यदि कोई सदस्य सम्मिलन में किसी विषय पर सुझाव देना चाहे तो उसे सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर ग्राम पंचायत के सचिव को लिखित में देना होगा.

7. नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन विहित कार्यवृत पुस्तक प्ररूप-दो में प्रथम पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंत: स्थापित किया जाये :-

"ग्राम सभा का नाम.."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. एस. धनंजय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनाक 14 फरवरी 2005

क्रमांक/पं. ग्रा. वि. वि./2005/179. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 1994 में संशोधन बाबत अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. एस. धनंजय, उप-सचिव.

Raipur, the 14th February

NOTIFICATION

No. 180/P/22.- The following draft of Amendment in Chhattisgarh Gram Sabha (procedure of Meeting) Rules, 1994, which state Government proposes to make in exercises of powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (3) of section 6 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is here by published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for the information of all persons likely to be affected there by and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of 7 days (Seven days) from the date of publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestions which may be received by the secretary Government of Chhattisgarh, Panchayat and Rural Development Department, Dau Kalyan Singh Bhawan, Mantralaya Raipur, Room No. 266 from any person which respect to the said draft before expiry of the aforesaid specified period during office hours shall be considered by the State Government.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules :-

1. In sub-rule (1) of rule 2 of the sentences "There shall be held a meeting every three months of the Gram Sabha every year" the following shall be substituted namely :-

   "There shall be held a meeting of the Gram Sabha in each village of the Gram Panchayat at the intervals as required by the agenda.

   Provided there shall be held at least a meeting during every three months."

2. After sentence "For any meeting of the Gram Sabha One tenth of the total number of Gram Sabha" In sub-rule (2) of rule 2 the following sentence shall be inserted :-

   "of which at least one third shall be female members."

3. After sub-rule (2) of rule 4 the following sub-rule (3) shall be inserted :-

   "(3) Such Notice shall be sent to the each office bearer of the Gram Panchayat. Having received such notice Panch/Sarpanch of the Gram Panchayat shall be liable to ensure the attendance of members of their constituency. If the Panch/Serpanch, as the case may be fails to ensure the attendance of members of one tenth of which one third shall be female, of their constituency he shall the liable to be removed from his post under sub-section (3) of Section 6 of the principal Act."

4. After sub-rule 6 the following proviso shall be inserted :-

"Provided further that resolution regarding the annual action plan, selection of beneficiaries, Annual budget, audit report and annual accounts and administrative reports and appointment or removal of Panchayat Karmi, may be passed only after having the quorum."

5. The sentences, "shall be entered in the attendance registered kept for the purpose", of rule 7 the following sentences shall be substituted :-

"Shall be entered in the attendance register kept in form III and signatures shall be obtained and duly signed and attested by at least five members amongst present, person presiding the meeting, secretrary of Gram Panchayat and names and address of such attesting persons shall be entered below their signatures. The Constituency wise quorum in Gram Sabha shall be counted by the Secretary of the respective Gram Panchayat. Lack of quorum in consecutive three meetings of Gram Sabha shall be reported to the Sub Divisional Officer of the division. Having received such information, notice shall be issued by the Sub Divisonal Officer to the respective office bearer, opportunity shall be given to ensure quorum in the next meeting, failing which action of removal shall be taken against the respective officer bearer."

6. The form-I specified under sub rule (1) of Rule-4 the following form-I shall be substituted.

FORM-I

[See rule 4 (1)]

NOTICE OF MEETING OF GRAM SABHA

Notice is hereby given to all members of Gram Sabha...That the meeting of the Gram Sabha shall be held on..at.. of the following place-

Place of meeting...

All members of the Gram Sabha whose names are in the voter list are invited to participate in the meeting.

For the meeting of the Gram Sabha, one-tenth or one third in the case of scheduled area of the total number of members there of shall form the quorum. If there is no quorum at the time fixed for the meeting; person chairing the meeting shall adjourn the meeting till the next date and time, as fixed by him and a fresh notice shall be circulated in the prescribed manner, for which no quorum shall be required.

But in such meeting no new subject shall be considered and also that only after having the quorum resolution may be passed regarding annual budget, audit report and annual accounts and administrative report and appointment or removal of Panchayat Karmi.

This notice shall be affixed on the notice board of the Gram Panchayat and at..................................in each village of the Gram Panchayat and it will be announced by beat of drum in the Gram Panchayat area.

The following subjects will be Placed before the meeting and will be considered in the following order :-

1. the annual statement of accounts for the year..
2. the report of the administration of the preceding financial year.
3. the development and other programme of works proposed for the next financial year.
4. the notes of the Gram Panchayat on the suggestions received from the members.
5. any other subject with the permission of the chairman of meeting. If any member desires to make suggestion or raise any subject in the meeting the same shall be given in writing to the secretary of the Gram Panchayat within one week from the date of this notice.

7. After line one in the form II minutes book prescribed under sub-rule (1) of rule 8 the following words shall be inserted:-

"Name of Gram Sabha..."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. S. DHANANJAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2005.